प्रेस नोट दिनांक 21.11.2025

थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

➡️ थाना अलीनगर पुलिस टीम व आर0पी0एफ0 के संयुक्त कार्यवाही के दौरान कुल 11.115 किग्रा अवैध गांजा बरामद कर 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली, आदित्य लांग्हे द्वारा गाँजा तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर अनन्त चंद्रशेखर (आईपीएस), क्षेत्राधिकारी PDDU नगर कृष्ण मुरारी शर्मा के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक अलीनगर अनिल कुमार पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में दिनांक 20.11.2025 को अलीनगर पुलिस टीम द्वारा आरपीएफ से प्राप्त इनपुट के आधार पर, आरपीएफ पुलिस टीम के साथ सामंजस्य बैठते हुए, मानस नगर पोखरे के सटे DFCC लाईन के पास थाना अलीनगर जनपद चन्दौली से दो व्यक्तियों को एक बारगी दबिश देते हुए गिरफ्तार कर उनके पास से अवैध गांजा कुल मात्रा 11.115 किग्रा बण्डल सहित बरामद किया गया। गिरफ्तार व्यक्तियो की पहचान नाम 1. बाली कुमार पुत्र रामकृत राम निवासी अंधऊ थाना कोतवाली सदर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 25 वर्ष 2. सतेन्द्र पुत्र स्व0 विन्ध्याचल निवासी मोहम्मदपुर थाना कोतवाली सदर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 23 वर्ष के रुप में हुई है। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय द्वारा मु.अ.सं. 0587/2025 धारा 8/20 एन.डी.पी.एस एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

पूछताछ गिरफ्तर अभियुक्त-

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ के दौरान बताया कि कि यह गाजा हम लोग उड़ीसा से ट्रेन से लाकर गाजीपुर ले जाकर पुड़िया बनाकर बेच देते है जिससे काफी मुनाफा होता है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त–

1.बाली कुमार पुत्र रामकृत राम निवासी अंधऊ थाना कोतवाली सदर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 25 वर्ष
2.सतेन्द्र पुत्र स्व0 विन्ध्याचल निवासी मोहम्मदपुर थाना कोतवाली सदर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 23 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरण–

1-मु.अ.सं. 0587/2025 धारा 8/20 एन.डी.पी.एस एक्ट थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

बरामदगी का विवरण-

1.कुल मात्रा 11.115 किग्रा अवैध गांजा

गिरफ्तारी व बरामदगी में शामिल पुलिस टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार पाण्डेय थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।
2.उ0नि0 अनिल कुमार यादव थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।
3.का0 प्रवेश सिंह थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

आरपीएफ टीम-
1.उ0नि0 इन्द्र कुमार CIB.D.D.U
2.आरक्षी गुड्डू प्रजापति CIB.D.D.U
3.आरक्षी मनोज कुमार यादव CIB.D.D.U
4.आरक्षी अवधेश प्रसाद CIB.D.D.U

थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली

➡️ थाना शहाबगंज पुलिस टीम द्वारा वध हेतु पैदल हांककर बिहार ले रहे 09 राशि गोवंशों को किया गया बरामद

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली, आदित्य लांग्हे द्वारा गौ-तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व गोवंश की तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन, दिगम्बर कुशवाहा व क्षेत्राधिकारी चकिया, रघुराज के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष अशोक कुमार मिश्रा के कुशल नेतृत्व में दिनांक 20.11.2025 को थाना शहाबगंज पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर क्रूरतापूर्वक मारते-पीटते पैदल हांककर वध हेतु ग्राम केरायगाँव के रास्ते बिहार ले जा रहे 09 राशि गोवंशों को बरामद किया गया। तस्कर रात के अंधेरे व खड़ी धान की फसल का फायदा उठाकर भागने मे सफल रहे । बरामदगी के आधार पर थाना थाना स्थानीय द्वारा मु0अ0सं0 129/2025 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनयम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0 129/2025 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनयम थाना शहाबगंज जनपद चंदौली

बरामदगी का विवरण–
09 राशि गोवंश

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-
1.थानाध्यक्ष अशोक कुमार मिश्रा थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली
2.उ0नि0 शिवपूजन सिंह थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली
3.उ0नि0 रणजीत बहादुर थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली
4.उ0नि0 शिवानन्द सिंह थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली
5.हे0का0 महेश प्रताप सिंह थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली
6.का0 सन्तोष कुमार यादव थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली